न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन सं. 03/2020 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

अनवान:–

प्रार्थी–

1.तेजाराम पुत्र बाबुलाल जाति मेघवाल निवासी–पूर

अप्रार्थी

1.सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

उपस्थित

वकील प्रार्थी:–1. श्री प्रतापाराम विश्नोई

अप्रार्थी– 2.तहसीलदार सांचौर

निर्णय

दिनांक–07.01.2021

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट के तहत पेश किया कि सरहद मौजा माखुपुरा पटवार हल्का साचोंर तहसील साचोंर में प्रार्थी का खरीदशुदा पुराने खाता संख्या 232 रकबा 1.13 हेक्टेयर भूमि मीठा वल्द अचला कौम मेगवंशी निवासी सांचौर की खोतेदारी एवं कब्जा काश्त का राजस्व रेकर्ड में दर्ज शुदा आया हुआ था। उक्त भूमि मीठा वल्द अचला का एकल खातेदार होने से उसे उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग का सम्पूर्ण कानूनी अधिकार होने से उन्होने मुझ प्रार्थी के पक्ष में जरिये बैचान दस्तावेज दिनांक 14.06.2019 को उक्त मौजा मोखुपुरा पटवार हल्का सांचौर के खसरा नम्बर 2639 रकबा 1.13 हेक्टर में से 0.16 हेक्टर भूमि बैचान कर दी थी। बैचान माफिक ही बैचान दस्तावेज में लिखित पडौस के मध्य की 0.16 हेक्टर भूमि पर कब्जा मुझ खरीददार का करवा दिया था। उक्त भूमि 0.16 हेक्टर पर कब्जा प्राप्त करते ही मैंने बैचानकर्ता की उपस्थिति में राजी–खुशी से मौके पर तारबंदी करवा कर अपना हिस्सा भी अलग कर लिया था। उक्त बेचान में वर्णित मुझ खरीददार के हि[illegible] 0.16 हेक्टर भूमि नामान्तकरण में अलग से तरमीम कर राजस्व रेकर्ड [illegible] की जानी थी लेकिन अप्रार्थी तहसीलदार सांचौर ने भूलवश बैचान [illegible] बंटवाडे को नजर [illegible] कर मुझ प्रार्थी का अलग से नामान्तरकरण [illegible] मीठा वल्द अच[illegible] साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.12 10:23:03 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर–सांचोर जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Scanned by CamScanner

संयुक्त खातेदार दर्ज किया जो नामान्तरकरण गलत इन्द्राज है। अतः मौजा मौखुपुरा पटवार हल्का सांचौर के खेत खसरा नंबर 2639 रकबा 1.13 हेक्टर भूमि में से बैचानशुदा भूमि 0.16 हेक्टर बंटवाडा दर्ज कर माफिक बैचान दस्तावेज में वर्णित पडौसियान के मध्य की भूमि का राजस्व रेकर्ड में मुझ खरीददार के नाम से अलग से तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब इस कदर पेश किया कि ग्राम मौखुपुरा की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 232 के खसरा नम्बर 2639 रकबा 1.13 हेक्टर की खातेदारी मीठा वल्द अचला कौम मेघवंशी के नाम से दर्ज है। उपपंजीयक कार्यालय सांचौर के पंजीयन दस्तावेज संख्या 201003442101936 दिनांक 14.06.19 के द्वारा खातेदारी में मीठा वल्द अचला द्वारा अपने हिस्से में से 0.16 हेक्टर भूमि तेजाराम वल्द बाबूलाल कौम–मेघवाल साकिन पुर को बैचान की गई थी। जिसमें बैचानसुदा भूमि का अंकन नजरी नक्शे के अनुसार किया गया है जिसकी पटवार रिपोर्ट व उसमें नजरी नक्शा संलग्न पेश है। जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या 224 के खसरा नम्बर 2639 रकबा 1.13 हेक्टर मीठा वल्द अचला कौम–मेघवाल साकिन देह दर्ज था खाते में नामान्तरकरण संख्या 811 निर्णय 25.11.2019 के जरिये मीठा वल्द अचला हिस्सा 97/113 व तेजाराम वल्द बाबूलाल का हिस्सा 16/113 दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण दर्ज के समय नक्शा ई–साईन न होने के कारण तरमीम के नामान्तरकरण नहीं भरे जा रहे थ। अतः बैचानसुदा भूमि का नामान्तरकरण हिस्सा अनुसार दर्ज कर लिया गया है। खातेदार मीठा वल्द अचला की मृत्यु हो जाने के कारण नामान्तरकरण संख्या 823 दिनांक 03.02.2020 को विरासत के जरिये अंबा पुत्री मीठा 97/1356, आसु पुत्र मीठा 97/1356, दिनेश पुत्र मीठा 97/1356, नरेश कुमार पुत्र मीठा 97/1356, भागु पुत्री मीठा 97/1356, भोमाराम पुत्र मीठा 97/1356, मुंगीदेवी पत्नी मीठा 97/1356, मफी पुत्री मीठा 97/1356, महेन्द्र पुत्र मीठा 97/1356, रेशमी पुत्री मीठा 97/1356, लता पुत्री मीठा 97/1356, विक्रम पुत्र मीठा के नाम दर्ज किया गया जो वर्तमान खाते में बदस्तुर है। नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थी की भूमि अलग से दर्शायी गई है तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा है।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मौजा माखुपुरा पटवार हलका सांचौर के खाता संख्या 232 के खसरा नम्बर 2639 रकबा 1.13 हेक्टर जिसके एकमात्र खातेदार मीठा वल्द अचला निवासी सांचौर थे, में से 0.16 हेक्टर भूमि जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 14.06.2019 के द्वारा क्रय की है। जिसमें विक्रेता एवं क्रेता द्वारा विशिष्ट भू–भाग का विक्रय एवं क्रय किया है। बेचाननामा में विक्रय किये गये भूखण्ड की चारों भुजाओं एवं पड़ोस का स्पष्ट अंकन किया गया है। चूंकि विक्रेता खातेदार मीठा वल्द अचला तात्कालिक समय भूमि का एकमात्र खातेदार काश्तकार था अतः भूमि के विशिष्ट भू–भाग के विक्रय का अधिकार खातेदार मीठा को था। जवाब तहसीलदार के अनुसार नामान्तरणकरण दर्ज के समय तहसील कार्यालय में नक्शा ई–साईन न होने के कारण तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.12 10:23:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned by CamScanner

के नामान्तरणकरण नहीं भरे जा रहे है। अतः हिस्सा अनुसार ही बेचानशुदा भूमि का नामान्तरणकरण भरा गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि बेचान दस्तावेज के अनुसार नामान्तरण भरा जाकर पृथक–पृथक खसरे कायम किये जाये।

सहायक कलेक्टर–सांचौर जिला जालौर

7.1.2021

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
सहायक कलेक्टर सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
सहायक कलेक्टर सांचौर
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2021.01.12 10:23:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner